राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक :– रा.क.बो./भण्डार/2017/ 11437 दिनांक : 08.04.2017

–: सीमित निविदा सूचना :–

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 6 कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है। जिसके लिये संलग्न स्पेसिफिकेशन एवं शर्ते होगी। इस हेतु निविदादाता अपनी दरें सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 17.04.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्राप्त निविदा उसी दिनांक को सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : सम/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड, अजमेर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति मय शर्तो के http://sppp.raj.nic.in एवं विभाग की वेबसाईट www.taxboard.rajasthan.govl.in पर डालकर सूचित करें।
3. बिल शाखा ।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

मैसर्स ....

....

क्र.सं.	विवरण	निविदा फार्म शुल्क	धरोहर राशि	कोटेशन दर प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (निविदादाता द्वारा)
1	6 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	200/-	2100/– प्रति कम्प्यूटर	

निविदा की शर्ते :

1- **Machine Specification**:-

A. Computer – Intel Core I3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15'' Moniter/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB Ports Window 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled M.S. Office.Responsibility of software license will be borne by the contractor.

B. Printer – Black & White laser Printer with speed 15 ppm or more, for specific needs, dot-matrix/inkjet printer maybe taken in lieu of laser printer.

C. UPS – Online/Offline UPS for above computer and printer with 30 minutes battery backup.

2- **Manpower** – The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in window/linux environment, good knowledge/practice in word processor, spread sheets and Interent operations and other related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi & English.

3 अनुबन्ध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढाया जायेगा।

4 स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिये। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।

5 उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।

6 निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

7 किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौती की जावेगी।

8 विशेष परिस्थितियों में संबधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वंय के खर्चे पर करवा कर देना होगा।

9 कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

10 यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।

11 यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

12 कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

13 भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

14 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों मे ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता